**सं. 24(372)/2003-सीडीएन**

**भारत सरकार**

**शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय**

**भूमि और विकास कार्यालय**

**निर्माण भवन, नई दिल्ली**

दिनांकः 7 अक्टूबर, 2003

## कार्यालय आदेश सं. 7/2003

**विषयः अंतरण आवेदनों का परीक्षण और कार्यवाही।**

यह पाया गया है कि कई अंतरण आवेदनों में पट्टाधारी/आवेदक कई छोटी-मोटी गलतियां करते हैं जैसे कुछ कॉलम में अपूर्ण सूचना दर्शाना, कुछ कॉलमों को नहीं भरना आदि। यह अपेक्षित ब्यौरों की प्रकृति के कारण हो सकता है जो आम लोगों को समझ में न आता हो। विभिन्न संपत्ति/लीज अनुभाग अंतरण मामलों पर अलग-अलग तरह से कार्यवाही कर रहे हैं। जहां कुछ अनुभाग अंतरण आवेदनों को ठीक करने/आवेदकों को कार्यालय में खाली कॉलमों को भरने की अनुमति दे रहे हैं जिसके बाद अंतरण आवेदनों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं, कुछ अनुभाग कॉलम नहीं भरने पर/अपूर्ण सूचना देने के कारण अंतरण आवेदनों को अस्वीकार कर रहे हैं।

2. यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों से निपटने में पट्टाधारी की शिकायतों और अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए एकसमान नीति का अनुसरण किया जाना चाहिए। इसलिए यह निर्णय किया गया है कि इन मामलों में जहां अंतरण आवेदनों में छोटी-मोटी गलतियां की जाती हैं या कुछ कॉलम खाली छोड़ दिए जाते हैं, पट्टाधारी/आवेदकों को अंतरण आवेदनों में आवश्यक संशोधन करने के लिए पहचान के उचित प्रमाण के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होने का अवसर दिया जा सकता है। यदि आवेदक इसकी सूचना दिए जाने के एक माह के भीतर गलतियों को सही नहीं करता है तो शाखा अधिकारी के अनुमोदन से आवेदन खारिज किया जा सकता है।

3. समान प्रकृति के किसी लंबित मामलों का तदनुसार निपटान किया जा सकता है। तथापि, निपटान किए गए मामलों को पुनः आरंभ नहीं किया जा सकता है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

4. यह संयुक्त सचिव (डीएल) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Sreekumar

(वी. श्रीकुमार)
जनसंपर्क अधिकारी
दूरभाषः 230114448

प्रति

सभी अधिकारी/अनुभाग